Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- करौली में पटवार हल्का महाराजपुर उप तहसील करणपुर तहसील सपोटरा जिला का पटवारी दीपक कुमार जैमनी 17,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 03 जून, मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी करौली द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री दीपक कुमार जैमनी पटवारी, पटवार हल्का महाराजपुरा उप तहसील करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली द्वारा परिवादी से उसकी माता जी के ग्राम गोटा स्थित खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी हेतु गठित टीम के सदस्यों के नाम से स्वंय के लिये 17,000/- **रूपये** की रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा था। उक्त मांग के अनुसरण में रिश्वती राशि 17 हजार रूपये आज दिनांक 03.06.2025 को परिवादी को कस्वा कैला देवी स्थित सरकारी विद्यालय के सामने बुलाकर प्राप्त करना एवं प्राप्त की गई **17 हजार रूपये** की राशि उसके कब्जे से बरामद होने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी करौली को एक शिकायत इस आशय कि मिली कि परिवादी से उसकी माता जी के ग्राम गोटा स्थित खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी हेतु गठित टीम के सदस्यों के नाम से स्वंय के लिये 25 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज भरपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरविजन में एसीबी चौकी करौली के **पुलिस निरीक्षक श्री जगदीश भारद्वाज** द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री दीपक कुमार जैमनी पटवारी, पटवार हल्का महाराजपुरा उप तहसील करणपुर तहसील, तहसील सपोटरा जिला करौली को परिवादी से 17,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।